मुकं० 129/15 प्यारेलाल v/s बाबूलाल

दावा

20-1-23

वकालतनामा [illegible]
पीठासीन [illegible] अवकाश
पर है। प्रश्न [illegible] व्यस्त है।
पत्रावली दि. 6-2-23 को पेश हो।

6-2-23

आवेदकगण उपस्थित।
अभिभाषक संघ ने कोर्ट कार्य स्थगित
रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य
कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 12-1-24 को पेश हो।

मैं मेरे प्यारेलाल सैनी बनाम बाबूलाल वाले केश को नहीं चलाना चाहता हूँ।

प्यारेलाल सैनी

12.1.24 पत्रावली अग्रिम पेश हुई। आज वकील वादी उपस्थित। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने आवेदिका पर पर लोकअदालत अभिभाषक उपस्थित अनुपस्थित वाद को नहीं चलाना चाहता है। इसलिए वादी के लोकअदालत के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत

सुमार होने पर नस्ती

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली, जिला-कोटपूतली-बहरोड़